

Title: Need to review the decision to provide identity cards to the opium growers particularly in Madhya Pradesh.

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति महोदय, वर्तमान में अफीम उत्पादक क्षेत्र जिनमें मध्य प्रदेश के रतलाम, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, उज्जैन तथा राजस्थान के झालावाड़, निम्बाहेड़ा, प्रतापगढ़, बड़िसादड़ी, चित्तौड़गढ़ आदि क्षेत्र में चालू सत्र के दौरान अफीम उत्पादक किसानों के लिये फोटो पहचान पत्र देने की नयी व्यवस्था नारकोटिक्स विभाग द्वारा की गई है। इसके पूर्व यह व्यवस्था कभी नहीं रही। इस नयी व्यवस्था के लागू होने से किसानों में भयंकर असंतोष व्याप्त है क्योंकि किसानों को मुख्यालय या केन्द्र पर बुलाया जा रहा है। ऐसा होने से वृद्ध, अशक्त तथा विधवा महिलायें जो नियमानुसार अफीम लाइसेंसधारी हैं अथवा जिन्हें पात्रता है उनको काफी असुविधा हो रही है। इसके लिये किसानों से 125 रुपये वसूले जा रहे हैं जो कि लागत से बहुत अधिक है। मेरी जानकारी में आया है कि इस प्रकार के फोटो पर समस्त व्यय सहित 10 रुपये से अधिक उसकी लागत नहीं होती है। मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि विभाग द्वारा यह कार्य बड़े ठेकेदारों द्वारा कराया जा रहा है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस प्रकार का फोटो पहचान पत्र दिया जाना यदि आवश्यक है तो विभाग को स्वयं इसके व्यय की व्यवस्था करनी चाहिये अथवा विभाग इस योजना को लागू करने पर पुनर्विचार करे।